न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बंशीधर योगी (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 131 / 2020

सरकार बनाम जयसींह पुत्र, गणपतराम
जाति–जाट, निवासी– कासनी

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 24.12.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप मामला इस प्रकार से हैं। कि गैर सायल जयसींह पुत्र गणपतराम जाति–जाट, निवासी–कासनी द्वारा रोही मोजा कासनी कि राजकीय भूमि ख.नं. 689 / 244 के कुल रकबा 0. 20 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.20 है0 भूमि पर गेहूं काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से जवाब नोटिस पेश किया गया कि गैर सायल ने ख. नं. 689 / 244 गै0 मु0 रास्ता केवल मात्र अपने कुए व मकानात में व्यक्तिगत आने जाने के काम आ रहा है। उक्त रास्ता गैर सायल का पर्सनल रास्ता है जो आम लोगों के काम नहीं आता है। एवं फसल को आवारा पशुओ से बचाने के लिये तारबंदी की गई है। चूंकि प्रश्नगत रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज है तथा प्रथक ख.न. कायम है अतः प्रश्नगम भूमि गै.मु रास्ते की राजकीय भूमि है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का गैर सायल को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। अतः गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है अन्य कोई साक्ष्य / सबूत पेश नही किया। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाता है। एवं अतिचारी के विरूद्ध बेदखली आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 110रू. कायम किया जाता है।राजकीय भूमी में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी /गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० लें० स० 4 के पृष्ठ सं. 27 पर
वर्ष 2020-21 में रुपये 110/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(बंशीधर योगी)
तहसीलदार, सूरजगढ़